हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नम्बर— 162/2024

दिलशाद बनाम मरियम

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/11/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कस्बा झुन्झुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3552 रकबा 3.55 है0, खसरा नम्बर 3255 रकबा 1.50 है0, खसरा नम्बर 3256 रकबा 0.003 है0 बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष वादीगण हुसैन आदि द्वारा एक दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 15/2016 उनवानी हुसैन बनाम मुंशी वगै0 पेश किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2020 को प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री तथा दिनांक 15.12.2020 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई थी। उक्त डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू के समक्ष अपील संख्या 42/2022 एवं 43/2022 उनवानी दिलशाद बनाम मरियम प्रस्तुत की गई थी जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू द्वारा दिनांक 10.06.2024 को आदेश पारित कर माननीय न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक 09.01.2020 व 15.12.2020 को अपास्त फरमा दिया गया तथा उपरोक्त भूमि की आदेश दिनांक 09.01.2020 व 15.12.2020 से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने का आदेश फरमाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू द्वारा दिनांक 10.06.2024 की पालना में भूमि खसरा नम्बर 3552 रकबा 3.55 है0, खसरा नम्बर 3255 रकबा 1.50 है0, खसरा नम्बर 3256 रकबा 0.003 है0 की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश तहसीलदार झुन्झुनू को जारी किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाव देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 25 के बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 09.01.2020 व 15.12.2020 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील संख्या 42/2022व 43/2022 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू में पेश की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू द्वारा दिनांक 10.06.2024 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय पारित किया कि न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की गई है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जा चूका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार की जाकर राजस्व रिकार्ड की पूर्ववर्ती स्थिति कायम की जावें। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.01.2020 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.12.2020 की पालना में तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा नामान्तकरण किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू में अपील पेश गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में प्राथमिक एवं अंतिम डिकी पर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाने के आदेश प्रदान किये हैं। प्रकरण में पुनः साक्ष्य सुनवाई एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना है, जिससे राजस्व रिकार्ड में न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2020 की पालना में किये गये अंकन से पूर्व की स्थिति बहाल की जानी न्यायोचित है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायालय मत पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। **आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो कस्बा झुन्झुनू स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3552 रकबा 3.55 है0, खसरा नम्बर 3255 रकबा 1.50 है0, खसरा नम्बर 3256 रकबा 0.003 है0 बाबत न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2020 की पालना में किये गये राजस्व रिकार्ड के अंकन को हजफ कर पूर्ववर्ती (निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.01.2020 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.12.2020 से पूर्व) राजस्व रिकार्ड की स्थिति कायम करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झुन्झुनू को तहरीर जारी हो। प्रार्थना पत्र दर्ज नम्बर से कम होकर जाप्त बाद तंकमिल दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 04/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 04/11/24 (हवाई सिंह यादव) उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner

प्र.सं. 162/24

दिलशाद V/s मरियम

19.11.24 वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र मिसल तलबी का व प्रा.पत्र बाबत संशोधन करने आदेश दिनांक 4.11.24 का पेश करने पर पत्रावली पेश की गई। प्रा.पत्र बाबत संशोधन पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील कथन है कि आदेश दिनांक 4.11.24 में टंकणीय त्रुटि से ख.नं. 3252 के स्थान पर 3552 व ख.नं. 3256 का रकबा 0.03 के स्थान पर 0.003 अंकित हो गया जिसे दुरुस्त किया जावे। वकील प्रार्थी को सुन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली व कथन मनन करके प्रा.पत्र बाबत संशोधन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 4.11.24 में ख.नं. 3552 के स्थान पर ख.नं. 3252 तथा ख.नं. 3256 का रकबा 0.003 है. के स्थान पर ख.नं. 3256 का रकबा 0.03 है. दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेशिका आदेश दिनांक 4.11.24 का भाग रहेगी। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
19/11/24

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)